न्यायालय कलेक्टर जिला बैतूल (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक- 0001/अ-20(3)/2024-25

मौजा बडोरी तहसील बैतूल

वनमंडलाधिकारी,
दक्षिण बैतूल (सामान्य)

............आवेदक

विरूद्ध

म.प्र. शासन

<u>आदेश</u>

(पारित दिनांक3/10/2024)

प्रकरण का संक्षित विवरण इस प्रकार है कि वनमंडलाधिकारी दक्षिण बैतूल (सामान्य) वन मंडल बैतूल द्वारा प्रभुढाना जलाशय में प्रभावित वन भूमि के एवज में ग्राम **बडोरी** तहसील बैतूल स्थित शासकीय भूमि खसरा नम्बर **167 रकबा 17.401 हे0 मे से 7.002 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण** के लिए म0प्र0 शासन वन विभाग को आवंटन किये जाने हेतु नियत प्रारूप में ऑन लाईन आवेदन पत्र आर. सी. एम. एस. पोर्टल पर अपलोड किया गया । इस आवेदन के आधार पर विधिवत प्रकरण संस्थित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) **बैतूल** को जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतरित किया गया।

(2) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) **बैतूल** द्वारा तहसीलदार एवं अधीनस्थ राजस्व अमले के माध्यम से प्रकरण क्रमांक 0015/अ-20(3)/2024-25 में जांच प्रतिवेदन दिनांक निरंक/07/2024 से निम्नांकित तथ्य स्पष्ट किये है:-

1. आवेदित भूमि खसरा नम्बर 167 रकबा 7.002 हे0 शासकीय मद चरनोई की भूमि है ।
2. ईश्तहार पर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं ।
4. ग्राम पंचायत द्वारा आवेदित भूमि आवंटन के सम्बंध में प्रस्ताव पारित किया गया ।
4. आवेदित भूमि ग्रामीण क्षेत्र में रिक्त है। लोक प्रयोजन हेतु प्रस्तावित नही है।
5. स्थानीय निकाय द्वारा भूमि आवंटन की कोई मांग नही की गई है।

इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा उक्तानुसार उल्लेख कर प्रस्तुत प्रतिवेदन के अभिमत में उपरोक्त बिन्दुओं का समावेश कर यह दर्शाया है कि नायब तहसीलदार बैतूल एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त अभिमत के अनुसार मौजा **बडोरी** तहसील **बैतूल** के खसरा नम्बर **167** रकबा **17.401** हे0 मे से 7.002 हे0 भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तांतरण की अनुशंसा की गई ।

(3) उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावित भूमि को आदेश दिनाक 21.08.2024 द्वारा घास मद से परिवर्तन कर शासकीय दखलरहित भूमि घोषित करते हुए वन विभाग को वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु भूमि हस्तांतरण हेतु प्रकरण जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति बैतूल के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए नजूल अधिकारी एवं सदस्य सचिव, जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति बैतूल को भेजा गया।

(4) सदस्य सचिव, जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति बैतूल द्वारा आवेदक वनमंडलाधिकारी बैतूल के आवेदन पत्र पर आवेदित भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति के समक्ष निर्णय हेतु रखा गया। समिति द्वारा विचारोपरांत नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय

न्यायालय कलेक्टर बैतूल

अधिकारी (रा.) बैतूल के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए **ग्राम बडोरी तहसील बैतूल** की दर्ज शासकीय भूमि **खसरा नम्बर 167** का रकबा **17.401 हे0 मद घास में से रकबा 7.002 हे0 शासकीय दखलरहित भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण म0प्र0 शासन, वन विभाग को हस्तांतरित** करने का दिनांक **30.09.2024** को निर्णय लिया है।

(5) अतः प्रकरण में जांच की आवश्यक औपचारिक प्रक्रिया पूर्ण होने पर प्रकरण का अवलोकन व अध्ययन कर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल की अनुशंसा एवं जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति के निर्णय दिनांक 30/09/2024 के आधार पर म0प्र0शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 6-75-2019-सात-शा-3 भोपाल दिनांक 24.9.2020 द्वारा प्रदत्त अधिकारो के तहत जिला बैतूल की तहसील बैतूल के पटवारी हल्का नंबर **61** के **ग्राम बडोरी** की राजस्व अभिलेख में उल्लेखित प्रश्नागत शासकीय भूमि **खसरा नम्बर 167** का रकबा **17.401 हे0 मे से 7.002 हे0 शासकीय दखलरहित भूमि को** वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म0प्र0 शासन, वन विभाग को हस्तांतरण करने के आदेश दिए जाते है। जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति का निर्णय इस आदेश का भाग होगा।

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 08 **/10/2024** को आदेश पारित व प्रसारित किया गया।

(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)
कलेक्टर
बैतूल

न्यायालय कलेक्टर बैतूल

पृ. क्रमांक-आर.सी 0001/अ-20(3)/2024-25 / 2311 **बैतूल दिनांक** 8 **/10/2024**

5. वनमंडलाधिकारी, दक्षिण (सामान्य) वनमंडल बैतूल की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2 अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल, / कार्यालय प्रेषी कार्यवाई विभाग बैतूल (म.प्र.)
8 अधीक्षक भू अभिलेख बैतूल,
4 तहसीलदार बैतूल,

को आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित रिकार्ड संशोधन की प्रतियां तत्काल इस कार्यालय एवं आवेदक विभाग को प्रस्तुत करे ।

कलेक्टर
बैतूल

शू-आवंटन प्रस्तावित नक्शा

प्रस्तावित नक्शा

मौजा - बडेरी
ग्रा०नं० - 466
प०ह०नं० - 61
रा०नि०मं० - बैतूल बाजार
तह० + जि० - बैतूल

पैमाना - 16 इंच = 1 मील

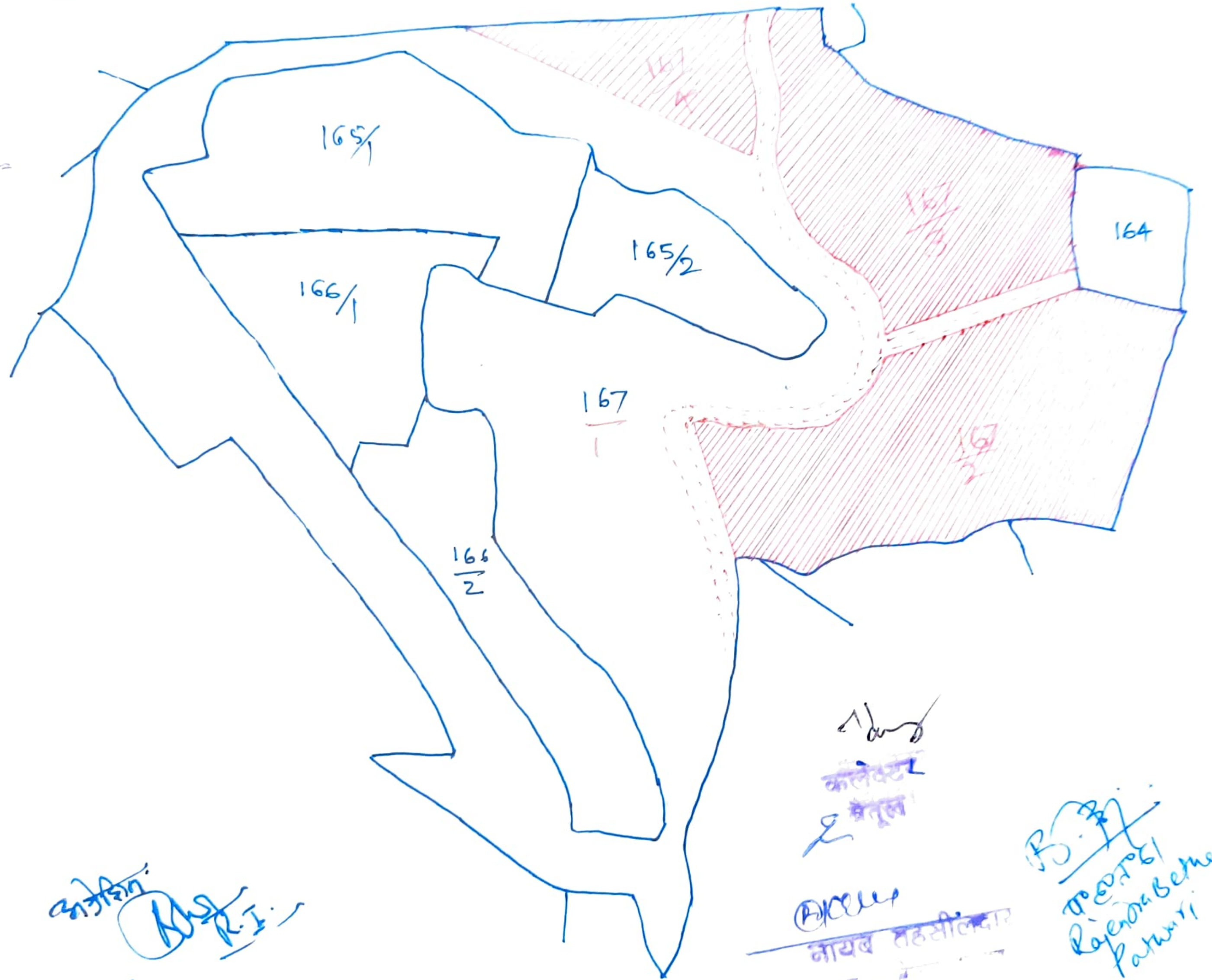

कलेक्टर बैतूल

कार्योहित R.I.

नायब तहसीलदार

Rajendra Bethe Patwari

टीप:- 1. ख०नं० 167 रकबा 17.401 हे० मद चरागाह/घास के नक्शे में लाल स्याही से छायांकित क्षेत्र प्रस्तावित ख०नं० क्रमशः 167/2, 167/3 एवं 167/4 रकबा क्रमशः 3.708 हे०, 2.42 हे० एवं 0.866 हे० कुल रकबा 7.002 हे० वैकल्पिक सुधार/पत्र हेतु प्रस्तावित है।

2. लाल स्याही से अंकित डैश (डबल डैश) लाइन ग्राम के कृषकों द्वारा अपने खेतों में आने-जाने हेतु प्रचलित आम रास्ता है।

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी बैतूल (म.प्र.)

रा.प्र.क्र.0001/अ-20(3)/2024-25

मौजा-बडोरी तहसील -बैतूल

दिनांक 20/9/2024

विषय:- ग्राम बडोरी तहसील बैतूल स्थित शास. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु म.प्र.शासन, वन विभाग को आबंटन बाबत ।

......*****.......

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वन मंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बैतूल द्वारा ग्राम बडोरी तहसील बैतूल की शासकीय भूमि खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मे से 7.002 हे. भूमि वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवेदक विभाग को आबंटन किये जाने के लिये नियत प्रारूप में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रस्तुत आवेदन के आधार पर विधिवत प्रकरण संस्थित किया जाकर अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल को जॉच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अंतरित किया गया।

2- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल द्वारा विषयांकित के संबंध में नायब तहसीलदार वृत बैतूलबाजार से जॉच प्रतिवेदन आहूत किया जाकर प्रतिवेदित किया गया कि प्रकरण में उदघोषणा जारी कर आपत्तियॉ आमंत्रित की गई, निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। संबंधित ग्राम सभा द्वारा ग्राम बडोरी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मे से 7.002 हे. भूमि प्रभुढाना जलाशय मे प्रभावित हो रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु आवेदक विभाग को दिये जाने मे ग्रामसभा को कोई आपत्ति नही होने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है ।

3- अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि नायब तहसीलदार वृत बैतूलबाजार से प्राप्त प्रतिवेदन से सहमत होते हुए स्थल निरीक्षण, पंचनामा आदि के आधार पर मौके की स्थिति अनुसार ग्राम बडोरी स्थित चयनित भूमि खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मद चरनोई मे से रकबा 7.002 हे. भूमि आवेदक विभाग को वैकल्पिक वृषरोपण हेतु आवंटन किये जाने की अनुशंसा कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को भेजा गया ।

4- मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 के प्रावधानों के अनुसार विषयांकित के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नानुसार है:-

(1)मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश 2020 की कंडिका 3(ग) के अनुसार संहिता की धारा 2(1) (य 3) में यथापरिभाषित समस्त दखलरहित भूमि तथा राज्य शासन के द्वारा गैर कृषि प्रयोजन के लिए पट्टे पर दी गई भूमि को नजूल भूमि के रूप में वर्गीकृत किया गया है, परंतु नगरेत्तर क्षेत्र में संहिता की धारा 237 के अंतर्गत निस्तार अधिकारों के प्रयोग के लिए पृथक रखी गई भूमि और धारा 233-क के अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में लोक प्रयोजन के लिए पृथक रखी गई भूमि को नजूल भूमि नहीं माना गया है।

(2)भाग-क के तहत दी गई तालिका के बिन्दु क्रमांक 1(क) के अनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक भूमि आवेदक विभाग को स्थाई पट्टे पर नजूल भूमि का आबंटन करने के मामले में सक्षम प्राधिकारी जिला नजूल निर्वर्तन समिति होगी।

(3)कंडिका-21 के अनुसार भूमि आबंटन के लिए कलेक्टर को **प्ररूप एक** में आवेदन किया जाना है। **इस प्रकरण में जिले के लैण्डपूल में से भूमि का चयन किया जाकर निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन**

आवेदन भी किया गया है। कंडिका-22(2) के अनुसार कंडिका-142 में उल्लेखित रीति से सार्वजनिक उदघोषणा जारी करके दावे-आपत्तियाँ एवं सुझाव आमंत्रित किये जाना है। **जॉचकर्ता अधिकारी नायब तहसीलदार वृत बैतूलबाजार द्वारा प्रकरण में सार्वजनिक उदघोषणा जारी करके दावे आपत्ति आमंत्रित किये गये हैं। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं हुई।** संबंधित ग्राम सभा द्वारा ग्राम बडोरी की शासकीय भूमि खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मे से 7.002 हे. भूमि प्रभुढाना जलाशय मे प्रभावित हो रही वन भूमि के बदले वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु आवेदक विभाग को दिये जाने मे ग्रामसभा को कोई आपत्ति नही होने का सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया है ।

5- **प्रस्तावित भूमि खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मद घास में से रकबा 7.002 भूमि को कलेक्टर महोदय बैतूल द्वारा इस प्रकरण मे घास मद से परिवर्तित कर शासकीय दखलरहित भूमि के रूप मे दर्ज किये जाने के आदेश दिनॉक 21/08/2024 को आदेश पत्रिका पर दिये गये है। अतः अब 7.002 हे. भूमि नजूल भूमि की श्रेणी में आती है।**

6- **कंडिका- 13(3) के अनुसार नजूल अधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी) के प्रतिवेदन में अन्य बातों के अलावा निम्न बिन्दुओं पर उपलब्ध जानकारी निम्नानुसार है:-**

(क)	तत्समय प्रवृत्त विकास योजना में आवेदन अनुसार भूमि उपयोग अनुमत है अथवा नहीं ?	*अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 11.3 अनुसार प्रस्तावित भूमि विकास योजना क्षेत्र मे स्थित नही है ।*
(ख)	भवनों के निर्माण के लिए संबंधित क्षेत्र के लिए लागू तल क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) के अधिकतम उपयोग के आधार पर भूमि की न्यूनतम आवश्यकता का आकलन	*निवेश (मास्टर प्लान) क्षेत्र अंतर्गत स्थित नही होने के कारण तल क्षेत्र के अनुपात लागू नही होते है।*
(ग)	आवेदित भूमि का पूर्ण उपयोग करने की कार्ययोजना तथा उसके लिए वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता	*आवेदन के साथ कार्य योजना तथा प्रशासकीय स्वीकृति आदेश संलग्न नही है।*
(घ)	क्या आवेदित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण लोक प्रयोजन के लिए है या भविष्य में संभावित है?	*अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बैतूल के प्रतिवेदन के बिन्दु क्रमांक 11.8 अनुसार प्रस्तावित भूमि की आवश्यकता किसी अन्य महत्वपूर्ण प्रयोजन के लिये भविष्य मे संभावित नही है।* ग्राम बडोरी स्थित चयनित भूमि खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मद चरनोई मे से 7.002 हे. भूमि वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु आवेदक विभाग को आवंटित किये जाने की अनुशंसा की है।

नजूल अधिकारी एवं सदस्य सचिव,
जिला स्तरीय नजूल निर्वतन समिति, बैतूल

जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति का अभिमत/निर्णय दिनांक 30/ 9/2024

नजूल अधिकारी एवं सदस्य सचिव जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति बैतूल द्वारा प्रस्तुत संक्षेपिका की कंडिका (3) एवं (5) में उल्लेखित वस्तुस्थिति के आधार पर, तथा अन्य समर्थनकारी अभिलेख के आधार पर जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति द्वारा निम्नानुसार आदेश निर्णित किया जाता है :-

I. भूमि हस्तांतरण बाबत आवेदन आवेदक विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत न करते हुए वनमंडलाधिकारी दक्षिण सामान्य वनमंडल बैतूल द्वारा प्रस्तुत किया गया है। विभागीय आवश्यकता को देखते हुए विचारार्थ मान्य किया जाता है।

II. विभाग द्वारा वित्तीय राशि की प्रशासकीय स्वीकृति आदेश संलग्न नही किया गया है।

नजूल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल द्वारा ग्राम बडोरी की आवेदित भूमि खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मद घास मे **से रकबा 7.002** भूमि आवेदक विभाग को वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु आवंटित किया जाना प्रस्तावित किया गया है1 **कलेक्टर बैतूल द्वारा इस प्रकरण में आदेश पत्रिका दिनांक 21/08/2024 मे ग्राम बडोरी स्थित भूमि खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मद घास मे से 7.002 हे. भूमि को घास मद से परिवर्तित कर शासकीय दखलरहित भूमि के रूप मे दर्ज की गई है।**

नायब तहसीलदार वृत बैतूलबाजार व नजूल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैतूल के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए विचारोपरांत **ग्राम बडोरी** तहसील **बैतूल** के खसरा नंबर 167 रकबा 17.401 हे. मद घास मे से रकबा 7.002 हे. शासकीय दखलरहित भूमि वैकल्पिक वृक्षरोपण हेतु म.प्र.शासन, वन विभाग को हस्तांतरित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया जाता है।

(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति, बैतूल	**मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बैतूल**	**जिला पंजीयक, बैतूल.**	**सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश बैतूल.**	**अनुविभागीय अधिकारी(.रा) बैतूल**	नजूल अधिकारी एवं सदस्य सचिव, **जिला स्तरीय नजूल निर्वर्तन समिति, बैतूल**

दिनांक 30/09/2024

स्थान - बैतूल